प्राविधिक शिक्षा निदेशालय
उत्तर प्रदेश
विकास नगर, कानपुर–208002
Visit us: http:// upted.gov.in/directorate

सं0: 20449 /ई–स्था0अरा0नियु0/रा0पा0–2023(क0स0)/19 कानपुर : दिनांक–04.09.2023

–:आदेश:–

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ की संस्तुति के आधार पर शासनादेश सं0–04/2021/1/4/2011–का–4–2021 दिनांक–29.04.2021 में निहित प्राविधानानुसार कनिष्ठ सहायक पद पर, वेतनबैण्ड रू0 5200–20200 सादृश्य ग्रेडवेतन रू0 2000/– (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन संरचना लेवल–3) में न्यूनतम वेतन पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते सहित पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित अभ्यर्थी की औपबंधिक नियुक्ति उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के स्तम्भ–4 में अंकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से इस शर्त के साथ की जाती है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा और परिणामस्वरूप आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी की जाएगी। अभ्यर्थी की यह नियुक्ति पूर्णतयाः अस्थाई है एवं नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें शासनादेश संख्या–20/1/74–3 दिनांक–11.06.1975 में निहित प्राविधानानुसार किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की नोटिस पर समाप्त की जा सकती है:–

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	स्थाई पता	संस्था जहाँ नियुक्ति की जानी है
1	2	3	4
1.	श्री सूरज सिंह पुत्र श्री राकेश प्रताप सिंह ग्रा0 व पो0–उडैयाडीह थाना–पट्टी जिला– प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश–230134	ग्रा0 व पो0– उडैयाडीह थाना–पट्टी जिला– प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश–230134	राजकीय पालीटेक्निक प्रेमधरपट्टी प्रतापगढ़

उक्त के अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को "यह भी अवगत कराया जाता है कि उनकी यह नियुक्ति अस्थायी है और जाति प्रमाण–पत्रों के उचित माध्यम से सत्यापन किये जाने की शर्त पर, की जाती है और यदि सत्यापन किये जाने पर जाति प्रमाण पत्र का दावा झूठा पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी और झूठे प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत आगे की कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के की जायेगी।"

नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा पदभार ग्रहण करने पर उनकी वरिष्ठता समय–समय पर यथासंशोधित "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991" में निहित प्राविधानानुसार बाद में निर्धारित की जायेगी। उपरोक्त अभ्यर्थी को पदभार ग्रहण करते समय निम्नलिखित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे:–

1. सभी शैक्षिक एवं अनुभव सम्बन्धी प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित प्रतियॉ।
2. दो राजपत्रित अधिकारियों, जो उनके सम्बन्धी न हों, के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र।
3. एक पत्नी जीवित होने अथवा अविवाहित होने का प्रमाण–पत्र।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र।
5. भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहने का प्रमाण–पत्र।

पदभार ग्रहण करने की सूचना के साथ उपरोक्त सभी प्रमाण–पत्र निदेशालय एवं संबंधित क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक कार्यालय भेजे जायें। नियुक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र प्राप्त होने की तिथि से 02 माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। यदि निर्धारित तिथि तक उपरोक्त अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थ होता है तो इनका नियुक्ति आदेश स्वतः समाप्त समझा जायेगा। पदभार ग्रहण करने हेतु नियुक्त अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। संबंधित अभ्यर्थी उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रहेंगे।

(कं0 राम)